



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17022026-270221
CG-MH-E-17022026-270221

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 744।

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 12 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 782(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपावद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिला में “धुळे (बोरविहीर) - नरडाणा नई रेलवे लाईन” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि मे हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20ध कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध मे आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक जिलाधिकारी और उप-मंडल अधिकारी धुळे मंडल, धुळे महाराष्ट्र को लिखित मे किया जाएगा और उसके आधार उपर्युक्त करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना “धुले (बोरविहीर) - नरडाणा नई रेल्वे लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	7/12 नुसार भूधारकचे नाव	सर्वे नं. गट नं.	भूमि पैकड़ा	7/12 नुसार क्षेत्र (हे.आर)		संपादन करावाया चे क्षेत्र (हे.आर)
							ला. ला	पो.ख.	
1	21/2021	न्याहालोड	धुले	बारकू गवा वाघ	429/1/ब	।	1.21	0.00	0.30
2				हिम्मत रामचंद्र माळी	429/2	।	0.93	0.00	0.42
3				लिलाधर एकनाथ माळी, किशोर एकनाथ माळी	460	।	3.11	0.00	0.67
					कुल		5.25 (हे.आर)	0.00	1.39 (हे.आर)

[फा. सं. G197/Dhule-Nardana New Line/Nyahalod Vlg/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th February, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 782(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Dhule (Borvihir)-Nardana New line” in the District of Dhule in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Assistant Collector and Sub-Divisional Officer Dhule, Dhule Division, Dhule** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “**Dhule (Borvihir)–Nardana New line**” for 1 village in the District Dhule in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Proposal No.	Village	Taluka	Land owner name according to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)		Area to be acquired (Ha.)
							La.	La P. Ha.	
1	21/2021	Nyahalod	Dhule	Baraku Gaba Waghi	429/1/B	I	1.21	0.00	0.30
2				Himmat Ramchandra Mali	429/2	I	0.93	0.00	0.42
3				Liladhar Eknath Mali, Kishor Eknath Mali	460	I	3.11	0.00	0.67
					Total	-	5.25 (Ha.)	0.00	1.39 (Ha.)

[F. No. G197/Dhule-Nardana New Line/Nyahalod Vlg/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)